

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

वादी का आवेदन तथा उत्तर को
 कदमत के तदनुसार के द्वारा किया
 गया अनुमोदन वाद के निर्णय का
 माग होगा। पत्रावली फिलिम सुपाट
 होकर दाखिल दफ्तरी है।



3
 A 3

25/16 पत्रावली वादी वकील व उत्तर
 पत्रावली उत्तर व उत्तर उत्तर/वादी
 की शपथ पत्र पत्रावली कानून पत्रावली
 पत्रावली उत्तर/शपथ पत्रावली/उत्तर
 जली होकर पत्रावली दाखिल
 दफ्तरी है।

बाद घोषणा एक खातदारी एवं नोटवाली खत
 कानून द्वारा 53, 55 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम

वादी निम्नलिखित प्रस्तुत करता है -
 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 आपस में संगे हैं एवं
 संख्या 1 इनका पिता है, जिनका सजरा द्याना
 समुचित संकलित

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत.सहायक कलक्टर (मु.) मुकाम नागौर बइजलास ए. एच. गौरी. आर. ए. एस.
श्रवणकुमार पुत्र रामजीवण उर्फ जीवणराम जाति जाट निवासी फिडौद वादी

बनाम

1. रामजीवण उर्फ जीवणराम पुत्र पीपाराम
2. प्रेमसुख पुत्र रामजीवण उर्फ जीवणराम
3. हरदीनराम पुत्र रामजीवण उर्फ जीवणराम
जाति जाट निवासीगण फिडौद
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मूण्डवा

प्रतिवादीगण

वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवाडा खेताय अधीन धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नं 60 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु
बहाजरी _____ मिनजानिब मुदई ब _____
मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वाद
वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से निम्नानुसार डिक्री जारी की
जाती है-

- (क) मौजा फिडौद के खसरा नम्बर 62 रकबा 52.03 बीघा, खसरा नम्बर 126 रकबा
24 बीघा सम्पूर्ण वादी श्रवणराम के एवं
- (ख) प्रतिवादी संख्या 1 रामजीवण उर्फ जीवणराम वृद्ध होने से इनके बंट में किसी
भूभाग का हिस्सा नहीं रखकर चल सम्पति बंट में रखी गई एवं
- (ग) मौजा फिडौद के खसरा नम्बर 53 रकबा 4.09 बीघा, खसरा नम्बर 54 रकबा 27.
02 बीघा, खसरा नम्बर 57 रकबा 55.17 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमसुख के एवं
- (घ) मौजा फिडौद के खसरा नम्बर 517 रकबा 15.08 बीघा, खसरा नम्बर 83/2
रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 55 रकबा 20.03 बीघा, खसरा नम्बर 56 रकबा 19.15
बीघा प्रतिवादी संख्या 3 हरदीनराम के तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी का घोषित
किया जाता है।

बीज _____ मुबलिग. _____ बाबत् _____ खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व
शरह _____ फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक. _____ को
अदा करें।

बसब्त मेरें दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25-1-16 को जारी की गई ।



मुहर

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प वकालात नामा	—	—
स्टाम्प वकालात नामा	—	—	स्टाम्प अर्जी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महनताना वकील पर	—	—
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	—	—
मुतफर्रिक	—	—			
मीजान	—	—	मीजान	—	—

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का , चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं तय करना चाहिए।

(ए.एच.गौरी)
आर.ए.एस. (उ.)
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर